



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 104-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक प्रथम जुलाई, 2021
(10 आषाढ़, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 10/संवि०/अनु० 309/2021, दिनांक प्रथम जुलाई, 2021— हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2021. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	319—320
भाग IV	शुद्धि पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग—III**हरियाणा सरकार****वित्त विभाग****अधिसूचना**

दिनांक प्रथम जुलाई, 2021

संख्या सांका०नि० 10/संवि०/अनु० 309/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2012 में परिशिष्ट 'ख' में,—
 - (i) खाना 3 तथा 4 के नीचे "मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान" शब्द जहाँ कहीं भी आये, के स्थान पर, "मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे; तथा
 - (ii) क्रम संख्या 6 के सामने, खाना संख्या 3 के नीचे, मद (iv) में, "64" अंकों के स्थान पर, "80" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

टी०वी०एस०एन० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

*[Authorised English Translation]***HARYANA GOVERNMENT****FINANCE DEPARTMENT****Notification**

The 1st July, 2021

No. GSR 10/Const./Art.309/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Local Audit (Group-C) Service Rules, 2012 namely:—

1. These rules may be called the Haryana Local Audit (Group C) Service (Amendment) Rules, 2021.
2. In the Haryana Local Audit (Group C) Service Rules, 2012, in Appendix B,—
 - (i) under column 3 and 4, for the words “Knowledge of Hindi or Sanskrit upto Matric or Higher education”, wherever occurring, the words “Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education” shall be substituted; and
 - (ii) against serial number 6, under column 3, in item (4), for the figure “64”, the figure “80” shall be substituted.

T.V.S.N. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.